भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1356

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 8 दिसम्बर, 2025 / 17 अग्रहायण,1947 (शक) को दिया जाना है।

जीएसटी राजस्व में झारखंड की हिस्सेदारी

1356. **श्रीमती जोबा माझी:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 15वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार विभाज्य जीएसटी पूल में झारखंड की वर्तमान में प्रतिशत हिस्सेदारी तथा इसके वितरण हेतु नीति और मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) जीएसटी के लागू होने जुलाई 2017 से अक्तूबर 2025 तक झारखंड राज्य को जीएसटी (सीजीएसटी, आईजीएसटी और क्षतिपूर्ति) मदों के तहत कुल कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) उक्त अवधि के लिए जीएसटी भिन्नता/निपटान या किसी अन्य मद के तहत केंद्र सरकार के पास लंबित झारखंड राज्य की कुल वैध बकाया राशि कितनी है; और

(घ) धनराशि के लंबित रहने के विशिष्ट कारण क्या हैं तथा उसे उक्त राज्य को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 15वें वित् आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केंद्रीय करों (सीजीएसट सहित) के विभाज्य पूल में झारखंड का हिस्सा 3.307% है। 15वें वित्त आयोग द्वारा निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर पारस्परिक प्रतिशत का निर्धारण किया गया था:

मानदंड	जनसंख्या	क्षेत्र	वन और परिस्थितिकी	आय अंतराल	कर और राजकोषीय प्रयास	जनसांख्यिकीय प्रदर्शन
भार (%)	15%	15%	10%	45%	2.50%	12.50%

(ख): जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर, 2025 तक सीजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी प्रतिपूर्ति शीर्षों के तहत झारखंड राज्य को अंतरित की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

विवरण	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	तदर्थ निपटान सहित एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	जीएसटी क्षतिपूर्ति (वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2022-23
राशि (₹ करोड़)	71,980.55	29,493.00	9,576.00

(ग): भारत सरकार ने माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व की हानि के लिए झारखंड राज्य को पांच वर्ष अर्थात् 1 जूलाई 2017 से 30 जून, 2022 तक अनंतिम रूप से स्वीकार्य जीएसटी प्रतिपूर्ति की पूरी राशि पहले ही जारी कर दी है। लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ अनंतिम आंकड़ों के मिलान से उत्पन्न होने वाली अंतिम प्रतिपूर्ति भी झारखंड राज्य को वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जारी की गई है।

(घ): (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

****